# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

**अपील संख्याः–14/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/119)**

1. छीतर पुत्र श्री किशोरी,
2. पूरण पुत्र श्री किशोरी,
3. भीखाराम पुत्र किशोरी,
   जातियान माली निवासीयान ग्राम ढाणी काजीवाली तहसील बानसूर जिला अलवर। ।

**–अपीलान्टस**

**बनाम**

1. तहसीलदार, बहैसियत भू–धारक तहसील बानसूर जिला अलवर।

**–रेस्पोडेन्ट्**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 22.02.2022**

**उपस्थितिः–**

1. **श्री अनिल कुमार गुप्ता एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट की ओर से**

**निर्णय**

**दिनांक –17.10.2024**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 22.02.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के साथ दिनांक 10.05.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राजस्व–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में मौका निरीक्षण रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर, आई.एल.आर. हरसोरा, पटवारी हल्का माजरा अहीर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड में दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसील बानसूर के चालू स्थाई रास्तों का राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाने हेतु तहसील बानसूर के राजस्व ग्राम छिपारी के आराजी खसरा नम्बर 109, 107, 105, 574/121 में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड ने तहसीलदार बानसूर के प्रस्ताव दिनांक 18.11.2021 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से जा रहे सार्वजनिक आवागमन एवं उपयोग के रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम छिपारी तहसील बानसूर के प्रस्तावित खसरों में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 पारित किया।

3. उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 22.02.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खातेदार अपीलान्टान को नोटिस जारी नहीं किया और ना ही अपीलान्टान को सुना गया और बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये ही बाला–बाला तरीके से निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत ने जो मौका रिपोर्ट तलब की है वह भी पटवारी हल्का द्वारा मौके के विपरीत तथा अपीलान्टान की गैर मौजूदगी में तैयार की है। पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 18.11.2021 को जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमे अंकित किया गया है कि उक्त खसरा नम्बरान मे से रास्ता कच्चा/पक्का/ग्रेवल/डामर सडक के रूप दर्ज है एवं कदीमी रूप से चालू पथ स्थाई प्रकति का है। यह रास्ता नरेगा/पी एम जे एस वाई/पी डब्ल्यू डी/ धारा 251 के तहत चालू रास्ते के अन्तर्गत आता है। यह रास्ता खसरा नम्बर 108 से 103 तक जाता है। उपरोक्त रिपोर्ट मौके के खिलाफ तैयार की गई है जबकि प्रार्थी अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 109 मे मौके पर कोई रास्ता नहीं है और ना ही प्रार्थी अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 109 में कोई कदीमी रास्ता कायम है। खसरा नम्बर 103 मे जाने के लिये रास्ता आराजी खसरा नम्बर 105 के समान्तर है इस प्रकार जो मौका रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपीलाण्ट को बिना सुने ही आदेश पारित किये गये है। तहसीलदार बानसूर द्वारा जो प्रस्ताव दिनांक 18.11.2021 को बनाकर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत माजरा अहीर मे प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा दिनांक 22.11.2021 को प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रकरण दिनांक 18.11.2021 को दर्ज किया गया और उसी दिन ही अपीलाण्ट को बिना कोई नोटिस जारी किये ही आदेश परिपत्र के अनुसार तैयार कर पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 को जारी कर दिये गये। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की गई। वह महज एक ही दिन मे कर दी गई जो प्रार्थी पांचूराम को फायदा पहुंचाने की नियत से साज बाज होकर अपीलाण्ट को बिना सुने ही अपीलाण्टान की आराजी मे से गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये जिस आदेश की अनुपालना मे राजस्व रिकोर्ड व नक्शा में रास्ते का अमल दरामद कर दिया गया । विवादित आराजी पर मौके पर रास्ता नही है किन्तु तहत अदालत के आदेश की आड मे विवादित आराजी मे रास्ता कायम किये जाने से अपीलाण्टान को भारी हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नही हो सकेगी। अपीलाण्टान विवादित आराजी के रिकोर्डड खातेदार है। अपीलाण्टान जो अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज काश्तकार है तथा दिनांक 18.04.2022 को तहसीलदार साहब बानसूर व उनके अधिनस्थ कर्मचारी प्रार्थी की आराजी पर आये और जबरन रास्ता कायम करने का प्रयास किया तो प्रार्थी अपीलाण्ट ने इनको ऐसा करने से मना किया तो उनके द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 की जानकारी दी गई जिस पर मिन अपीलाण्ट द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2022 की नकल हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनांक 21.04.2022 को प्राप्त हुई जिस पर मिन अपीलान्टान द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क कर कानूनी सलाह व मशवरा किया तो वकील साहब द्वारा आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। इस प्रकार मिन अपीलान्ट को आदेश दिनांक 22.02.2022 की जानकारी की दिनांक 18.04.2022 से नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह लेने में गुजरे समय को कन्डोन किये जाने की कृपा करें। अपीलाधीन आराजी मे तहत अदालत द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये है जो आराजी मिन अपीलाण्टान की खातेदारी की आराजी है एवं मिन अपीलण्टान को आराजी की


अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बाबत तमाम मालिकाना हक व अधिकारा प्राप्त है एवं अपीलाण्ट की आराजी मे रास्ता दिये जाने का कोई अधिकार नही था इसलिये मिन अपीलाण्टान अपने हक व अधिकारो के तहत अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते है इसलिये मिन अपीलण्टान को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि मिन अपीलाण्टान को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने की कृपा करे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 22.02.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार विवादग्रसत आराजी का दिनांक 18.11.2021 को मौका पर्चा बनाया गया है जिसके अनुसार भूमि विवादग्रस्त में उक्त रास्ता खसरा नम्बर 108 से 103 तक जाता है। यह रास्त 40–50 वर्ष पुराना व चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता कटा हुआ नहीं है। रास्ता मौके पर चालू है। जिसके संदर्भ में उक्त रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें। उनका यह भी कहना है कि यह रास्ता प्रचलित रास्ता है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 18.04.2022 को होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। जिस आराजी में तहत अदालत द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये हैं। वह आराजी मिन अपीलान्टान की खातेदारी की आराजी है एवं अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि भूमि विवादग्रस्त का दिनांक 18.11.2021 को मौका पर्चा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा बनाया गया है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 पर पटवारी द्वारा दिनांक 22.11.2021 को हस्ताक्षर किये गये हैं, के अनुसार अपीलाधीन रास्ता मौके पर चालू है। पत्रावली में संलग्न शपथ पत्र में भी कई प्रभावित खातेदारों द्वारा विगत कई वर्षों से मौके पर चालू रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। दौरान बहस अपीलार्थी का मुख्य कथन रहा कि खसरा नम्बर 103 में जाने हेतु खसरा नम्बर 105 के सामान्तर रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है किन्तु खसरा नम्बर 105 के सामान्तर रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध होने बाबत कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। रास्ता दोनों तरफ स्थित खेतों की सीमा पर दोनों तरफ से लगभग बराबर जमीन लेकर कायम किया गया है। जो विधिवत प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट अपील में वर्णित तथ्यों को पूर्णतः साबित करने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनांक 22.02.2022 यथावत रखा जाता है ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
( डॉ0 प्रवीण कुमार )
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
( डॉ0 प्रवीण कुमार )
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर